

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 111/2014

दायर दिनांक 24.07.2014

उनवान

1. शिवलाल पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर
2. बालाराम पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर

- वादीगण

बनाम

1. बालीबाई पुत्री भेरूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया तहसील रायपुर
2. करणसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
3. नागूसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
4. विक्रमसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
5. मृतक- शम्पूबाई पुत्री बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल
- 5/1 सुरेश पि. पदमसिंह माता शम्पूबाई बापूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया तहसील आलोट म.प्र.
6. राजूबाई पुत्री बापूलाल पत्नि गोरधन जाति आंजना नि. ढाबलासैकला तहसील गंगधार
7. राधेश्याम पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54 ए, 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री कालूराम मेघवाल

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 163 के ख.नं. 297 रकबा 5.7162 हेक्टर तथा खाता सं. 162 के ख.नं. 296 रकबा 0.6956 हेक्टर भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 के अनुसार



(Signature)

1



उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)



वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काष्ठकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/230 दिनांक 04.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 163 के ख.नं. 297 रकबा 5.7162 हेक्टर तथा खाता सं. 162 के ख.नं. 296 रकबा 0.6956 हेक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	शिवलाल पि. कंवरलाल हि. 1/2 बालाराम पि. कंवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि. रूपारेल रहन BRKGB रायपुर	297 296	2.5406 0.2319	पश्चिम पूर्व
		किता 2	2.7725	
2	बालीबाई पुत्री भेरूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया	296	0.0773	उत्तर पूर्व
3	सरदारबाई पत्नि बापूलाल जाति दांगी नि. रूपारेल रहन HDFC झालावाड	297 296	0.9527 0.0386	पूर्व दक्षिण
		किता 2	0.9913	
4	महावीर प्रसाद पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. चंवली	297 296	2.2229 0.3478	मध्य में पश्चिम
		किता 2	2.5707	

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार शीणा आरएस)
उपखण्ड अधिकारी गंगधार
पिंडी जिला झालावाड राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार भीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 111/2014

दायर दिनांक 24.07.2014

उत्नवान

1. शिवलाल पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर
2. बालाराम पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर

- वादीगण

बनाम

1. बालीबाई पुत्री भेरूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया तहसील रायपुर
2. करणसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
3. नागूसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
4. विक्रमसिंह पि. बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल तहसील रायपुर
5. मृतक- शम्पूबाई पुत्री बापूलाल जाति आंजना नि. रूपारेल
- 5/1 सुरेश पि. पदमसिंह माता शम्पूबाई बापूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया तहसील आलोट म.प्र.
6. राजूबाई पुत्री बापूलाल पत्नि गोरधन जाति आंजना नि. ढाबलासैकला तहसील गंगधार
7. राधेश्याम पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. रूपारेल तहसील रायपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54 ए, 188 रा.टी.एक्ट


उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री कालूराम मेघवाल

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

मिनजानित मुदई रुबरूX.....मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि - इस न्यायालय के निर्णय व डिक्ली दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 163 के ख.नं. 297 रकबा 5.7162 हेक्टर तथा खाता

सं. 162 के ख.नं. 296 रकबा 0.6956 हेक्टर भूमि में वादीगण एवं




3
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-


क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	शिवलाल पि. कंवरलाल हि. 1/2 बालाराम पि. कंवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि. रूपारेल रहन BRKGB रायपुर	297 296	2.5406 0.2319	पश्चिम पूर्व
		किता 2	2.7725	
2	बालीबाई पुत्री भेरूलाल जाति आंजना नि. झीकडिया	296	0.0773	उत्तर पूर्व
3	सरदारबाई पत्नि बापूलाल जाति दांगी नि. रूपारेल रहन HDFC झालावाड	297 296	0.9527 0.0386	पूर्व दक्षिण
		किता 2	0.9913	
4	महावीर प्रसाद पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. चंवली	297 296	2.2229 0.3478	मध्य में पश्चिम
		किता 2	2.5707	


तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)


निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमे के सूद
बषारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2025 को जारी किया
गया।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०
मुदालयह

मुदई	मुदई	मुदई	मुदई
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	


उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)